गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : विभिन्न मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत दावे मंजूर करने के लिये सक्षम हैं । चूंकि ऐसे दावों के लिये कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का कोई विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है इस लिये यह सूचना इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती ।

Losses on account of Delay in Clearance of Projects

5211. SHRI SURAJ BHAN:
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the reported study of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry that the delay of each day in the clearance, of Rs. 100 crores project means a loss of Rs. 2.5 lakhs to the company concerned, revenue loss of Rs. 16 lakhs to the Government and production loss of Rs. 27 lakhs to the country and that in this way the country has lost about Rs. 5,000 crores a year in the last 30 years;

(b) how do Government's findings on these counts compare; and

(c) whether clearance process is being streamlined to avoid delay; if so, in what way and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI NARAYAN DATT TIWARI) : (a) to (c) A statement to this effect forms part of the address of the President of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry to the 55th Annual Session held on 27 March, 1982. Government are not aware of the basis on which these figures are computed. It has so far not been possible for Government to examine this in any depth and come to any finding. In an event, Government have taken a number of steps to streamline the clearance procedure. Clearances under the MRTP Act have also been much quicker and greater in volume than in any other previous year. The aspect of delay has now shifted from the stage of approval to post-approval implementation.

चरस तथा अफीम का बरामद होना

5212. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, 20 जून, 1982 के "नवभारत टाइम्स" में "डेढ़ लाख रुपये की चरस मारफीन बरामद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि पुलिस इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त तस्करों से पैसे लेकर इन मामलों को बन्द कराने का षडयंत्र कर रही है ; और

(घ) ऐसी तस्करी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) इस संबंध में पुलिस स्टेशन रजौरी गार्डन में दो मामले दर्ज किये गये हैं और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) यह कहना सच नहीं है कि पुलिस मामलों को बन्द कराने के लिये षड़यंत्र कर रही है । जांच पड़ताल पूरी होने के बाद मामले न्यायालय को भेजे जायेंगे ।

(घ) नशीली दवाइयों सहित विभिन्न वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिये निवारात्मक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया गया है और केन्द्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य और अन्य देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के मध्य समन्वय बनाया जा रहा है ।